न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी - अजय प्रताप सिंह, आर.जे.एस.

विवरण	**तथ्य**
सीएनआर संख्या	RJKT11-000746-2019
प्रकरण संख्या	410/2019
सीआईएस संख्या	410/2019
एफआईआर संख्या	58/2019
पुलिस थाना	सुकेत
राजस्थान राज्य बनाम मुकेश वगैरह	

अपराध अंतर्गत धारा – 379, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 3/181 एवं 5/180 मोटरयान अधिनियम।

विवरण

विवरण	**तथ्य**
शिकायतकर्ता	राजस्थान सरकार
अधिवक्ता परिवादी	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व विवरण	**1. मुकेश पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी देवरीघाटा (सलोतिया), थाना कोतवाली, जिला झालावाड़।** **2. भंवर सिंह पुत्र कालू सिंह, जाति राजपूत, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी देवरीघाटा (सलोतिया), थाना कोतवाली, जिला झालावाड़।**
अधिवक्ता अभियुक्त	श्रीमती विलमा फ्रांसिस
अपराध की तारीख	01.03.2019
एफआईआर की दिनांक	01.03.2019
चालान पेश करने की दिनांक	02.05.2019
आरोप लगाने की दिनांक	05-08-2019

सत्यापित प्रति

विवरण	**तथ्य**
साक्ष्य अभियोजन प्रारम्भ व समाप्ति	प्रारम्भ दिनांक – **16.11.2019** समाप्ति दिनांक – **27.02.2024**
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	निल
निर्णय दिनांक	29.07.2026

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
पी.डब्ल्यू.-1	हंसराज	फरियादी, जब्ती एवं गिरफ्तारी का गवाह
पी.डब्ल्यू.-2	लक्ष्मीनारायण	जब्ती, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना एवं तस्दीक घटनास्थल का गवाह
पी.डब्ल्यू.-3	महेन्द्रपाल	जब्ती, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना एवं तस्दीक घटनास्थल का गवाह
पी.डब्ल्यू.-4	विनोद कुमार	राजस्व अभिलेख (जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं गिरदावरी) का गवाह
पी.डब्ल्यू.-5	सुभाषचन्द	अनुसंधान अधिकारी (आंशिक अनुसंधान)
पी.डब्ल्यू.-6	मोहन सिंह	प्रथम अनुसंधान अधिकारी/एफआईआर पंजीयन संबंधी गवाह
पी.डब्ल्यू.-7	मुकेश स्वामी	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.-8	ललित बाछरा	खनि अभियंता एवं तकनीकी रिपोर्ट का गवाह

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी-1	फर्द चैकिंग एवं जब्ती
2	प्रदर्श पी-2	फर्द चेक लिस्ट
3	प्रदर्श पी-3	फर्द गिरफ्तारी मुकेश
4	प्रदर्श पी-4	चाक एफआईआर
5	प्रदर्श पी-5	नक्शामौका
6	प्रदर्श पी-6	ट्रैक्टर-ट्रॉली के फोटोग्राफ
7	प्रदर्श पी-7	बजरी सहित ट्रॉली के फोटोग्राफ
8	प्रदर्श पी-8	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
9	प्रदर्श पी-9	तस्दीक घटनास्थल
10	प्रदर्श पी-10	जमाबंदी की नकल
11	प्रदर्श पी-11	नक्शा ट्रेस
12	प्रदर्श पी-12	फर्द गिरदावरी
13	प्रदर्श पी-16	खनि अभियंता की रिपोर्ट

ब. बचाव पक्ष

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार
निल	निल	निल

आर्टिकल

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार
निल	निल	निल

सत्यापित प्रति

निर्णय :- **दिनांक 29.07.2026**

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना सुकेत द्वारा अभियुक्त **मुकेश** के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा **379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957** तथा **धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम** एवं अभियुक्त **भंवर सिंह** के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत **धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957** तथा **धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम** में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण इस निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक **01.03.2019** को फरियादी **हंसराज**, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना सुकेत, हमराह अभिजीत कानि., सरकारी चालक तथा अन्य पुलिस जाप्ते के साथ अवैध खनन की रोकथाम हेतु गश्त एवं चैकिंग पर रवाना हुए। इसी दौरान हाट चौक, सुकेत पर तैनात कानि. **महेन्द्रपाल** द्वारा मोबाइल फोन से सूचना दी गई कि एक बिना नम्बर का महिन्द्रा 275 डी.आई. ट्रैक्टर मय ट्रॉली, जिसमें बजरी भरी हुई है, को रोक रखा गया है। उक्त सूचना पर फरियादी तत्काल मौके पर पहुँचे, जहाँ ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम **मुकेश पुत्र गोपाल बैरवा** निवासी देवरीघाटा (सलोतिया), जिला झालावाड़ बताया। ट्रॉली में भरी बजरी के संबंध में वैध रवन्ना अथवा रॉयल्टी माँगने पर अभियुक्त मुकेश कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका तथा बजरी आहू नदी से भरकर लाना स्वीकार किया। स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने पर हमराह पुलिसकर्मियों को गवाह मामूर कर ट्रैक्टर-ट्रॉली मय बजरी जब्त की गई तथा अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, नक्शामौका, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की कार्यवाही, राजस्व अभिलेख, खनि विभाग की रिपोर्ट

तथा धारा 133 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वाहन स्वामी **भंवर सिंह** से नोटिस के जवाब प्राप्त कर अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण किया गया। अनुसंधान में वाहन स्वामी भंवर सिंह की संलिप्तता मानते हुए उसके विरुद्ध भी धारा 379/120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानकर एवं अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त **मुकेश** के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा **379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम** एवं अभियुक्त **भंवर सिंह** के विरुद्ध धारा **379 सहपठित धारा 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम** में प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण को पृथक-पृथक आरोप विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप सुन-समझकर उनसे इन्कार किया तथा अनवीक्षा चाही।

4. अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में **पी.डब्ल्यू.-1 से पी.डब्ल्यू.-8** तक के बयान लेखबद्ध कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में **प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-12 एवं प्रदर्श पी-16** तक प्रदर्शित कराये गये।

5. अभियोजन पक्ष के अनुकूल साक्ष्य के प्रकाश में अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा **313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने

अभियोजन साक्ष्य को असत्य बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6. उभय पक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

7. अभियोजन अधिकारी ने अंतिम बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित है कि दिनांक **01.03.2019** को अभियुक्त **मुकेश** बिना किसी वैध रवन्ना अथवा रॉयल्टी के ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध बजरी का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। अभियुक्त ने स्वयं बजरी आहू नदी से भरकर लाना स्वीकार किया तथा उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। खनिज विभाग की रिपोर्ट से भी यह सिद्ध है कि उक्त खनिज का खनन एवं परिवहन अवैध था। अनुसंधान के दौरान वाहन स्वामी **भंवर सिंह** की संलिप्तता भी पाई गई। अभियोजन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त सामंजस्य है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे सिद्ध होते हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के लिये दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

8. दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि सम्पूर्ण प्रकरण पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य पर आधारित है। घटना स्थल आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया। अनुसंधान में अनेक त्रुटियाँ हैं तथा घटनास्थल से बजरी का वास्तविक उत्खनन अभियुक्तों द्वारा किया जाना किसी स्वतंत्र साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया। पुलिस साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभास हैं। वाहन स्वामी **भंवर सिंह** के विरुद्ध केवल धारा 133 मोटरयान अधिनियम के नोटिस के उत्तर के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे आपराधिक षड्यंत्र सिद्ध नहीं होता। अतः अभियोजन आरोप संदेह से

परे सिद्ध करने में असफल रहा है और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

9. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु निर्धारित किये जाते हैं—

(1) क्या दिनांक 01.03.2019 को समय लगभग 09:40 बजे रात्रि, हाट चौक, सुकेत पर अभियुक्त मुकेश बिना वैध अनुज्ञा एवं बिना वैध रवन्ना/रॉयल्टी के खनिज बजरी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया तथा वह उक्त ट्रैक्टर को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा था ?

(2) क्या दिनांक 01.03.2019 को समय लगभग 09:40 बजे रात्रि, हाट चौक, सुकेत पर अभियुक्त भंवर सिंह ने ट्रेक्टर संख्या 275 डीआई बिना नंबरी वाहन स्वामी होते हुए अभियुक्त मुकेश के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर बिना वैध रवन्ना/रॉयल्टी के खनिज बजरी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कराया तथा यह जानते हुए कि अभियुक्त मुकेश के पास वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे उक्त ट्रैक्टर चलाने हेतु दिया ?

(3) यदि हाँ, तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दण्डित किया जाये?

अवधार्य बिन्दुओं के संबंध में विनिश्चयः-

10. अवधार्य बिन्दु संख्या-1 **सकारात्मक रूप में**, अवधार्य बिन्दु संख्या-2 **नकारात्मक रूप में** तथा अवधार्य बिन्दु संख्या-3 अंशतः **सकारात्मक रूप में** निर्धारित किये जाते हैं।

अवधार्य बिन्दु संख्या-1 एवं 2 के विनिश्चय के कारण

11. अवधार्य बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण फरियादी **हंसराज**, तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना सुकेत द्वारा प्रस्तुत फर्द चैकिंग एवं जब्ती इस आशय की दर्ज करवायी गयी कि दिनांक **01.03.2019** को हाट चौक, सुकेत पर अभियुक्त **मुकेश** बिना नम्बर के महिन्द्रा 275 डी.आई. ट्रैक्टर मय ट्रॉली में बजरी का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। पूछने पर वह बजरी के परिवहन का कोई वैध रवन्ना अथवा रॉयल्टी प्रस्तुत नहीं कर सका तथा उसने स्वयं उक्त बजरी आहू नदी से भरकर लाना बताया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, नक्शामौका, धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कार्यवाही, राजस्व अभिलेख, खनि विभाग की रिपोर्ट तथा धारा 133 मोटरयान अधिनियम की कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम एवं वाहन स्वामी भंवर सिंह के विरुद्ध धारा 379/120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

12. इस संबंध में सर्वप्रथम फरियादी **पी.डब्ल्यू.-1 हंसराज** की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो प्रकट होता है कि इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि घटना दिनांक को वह पुलिस थाना सुकेत पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापित था तथा अवैध खनन की रोकथाम हेतु गश्त पर था। इसी दौरान मोबाइल द्वारा सूचना मिलने पर वह हाट चौक पहुँचा, जहाँ एक बिना नम्बर का महिन्द्रा ट्रैक्टर मय ट्रॉली बजरी सहित खड़ा मिला। चालक ने अपना नाम **मुकेश बैरवा** बताया। उससे बजरी के परिवहन संबंधी वैध रवन्ना अथवा रॉयल्टी माँगी गयी, किन्तु वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका तथा बजरी आहू नदी से भरकर लाना स्वीकार किया। स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने पर साथ के पुलिसकर्मियों को गवाह मामूर कर ट्रैक्टर-ट्रॉली मय बजरी जब्त की गयी तथा अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार किया गया। इस साक्षी ने फर्द चैकिंग एवं जब्ती **प्रदर्श पी-1**, फर्द चैकलिस्ट **प्रदर्श पी-2**, फर्द गिरफ्तारी **प्रदर्श पी-3**, चाक एफआईआर **प्रदर्श पी-4** तथा नक्शामौका **प्रदर्श पी-5** को स्वीकार कर अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना स्थल आबादी वाला क्षेत्र था तथा कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं हुआ, किन्तु उसने यह भी स्पष्ट कथन किया कि स्वतंत्र गवाहों को बुलाने का प्रयास किया गया था, परन्तु कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। यह भी सत्य है कि प्रतिपरीक्षा में बजरी के रंग, ट्रॉली पर लिखे शब्द तथा आसपास के मकानों के संबंध में कुछ सामान्य प्रश्न पूछे गये, किन्तु इन तथ्यों से इस साक्षी के उस मूल कथन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि अभियुक्त मुकेश मौके पर ट्रैक्टर में बजरी भरकर बिना वैध दस्तावेज के पकड़ा गया था। उसकी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया जिससे घटना का मूल स्वरूप अविश्वसनीय प्रतीत होता हो।

13. प्रकरण के अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू.-2 लक्ष्मीनारायण** ने भी मुख्य परीक्षण में पी.डब्ल्यू.-1 के कथनों का पूर्ण समर्थन किया है। इस साक्षी ने कथन किया कि उसने एवं महेन्द्रपाल ने सबसे पहले ट्रैक्टर को रोका था तथा बाद में हंसराज एएसआई मौके पर पहुँचे। अभियुक्त मुकेश बजरी के संबंध में कोई वैध रवन्ना प्रस्तुत नहीं कर सका तथा स्वयं बजरी आहू नदी से भरकर लाना बताया। इस साक्षी ने जब्ती फर्द, गिरफ्तारी फर्द, नक्शामौका, धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना **प्रदर्श पी-8** तथा तस्दीक घटनास्थल **प्रदर्श पी-9** को भी सिद्ध किया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी से भी स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति, बजरी के रंग तथा अन्य सामान्य तथ्यों के संबंध में प्रश्न पूछे गये हैं, किन्तु उसके कथन का मुख्य भाग अप्रभावित रहा। यह साक्षी भी स्पष्ट रूप से अभियुक्त मुकेश को घटनास्थल पर ट्रैक्टर सहित पकड़ने तथा उसके पास किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं होने की पुष्टि करता है।

14. प्रकरण के अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू.-3 महेन्द्रपाल** भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इसने अपने मुख्य परीक्षण में पी.डब्ल्यू.-1 एवं पी.डब्ल्यू.-2 के कथनों का पूर्ण समर्थन किया है। इस साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि उसने स्वतंत्र गवाह लाने का प्रयास किया, किन्तु कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाशी ली गयी, जिसमें बजरी भरी हुई मिली। अभियुक्त मुकेश कोई वैध रवन्ना अथवा रॉयल्टी प्रस्तुत नहीं कर सका। इस साक्षी ने भी जब्ती, गिरफ्तारी, धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना तथा तस्दीक घटनास्थल के दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करने पर भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास परिलक्षित नहीं होता, जिससे अभियोजन की मूल कहानी संदिग्ध प्रतीत होती हो। उसके कथन अन्य दोनों प्रत्यक्षदर्शी पुलिस साक्षियों से पूर्णतः सामंजस्य रखते हैं।

15. इस प्रकार उक्त तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों का तुलनात्मक परीक्षण करने पर यह परिलक्षित होता है कि घटना के मूल तथ्यों के संबंध में उनके कथनों में पर्याप्त सामंजस्य एवं एकरूपता है। प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वतंत्र गवाह नहीं होने, घटना स्थल आबादी वाला होने तथा बजरी के रंग आदि संबंधी प्रश्न अवश्य पूछे गये हैं, किन्तु इन तथ्यों से अभियोजन की मूल कहानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि शासकीय साक्षियों की साक्ष्य स्वाभाविक, विश्वसनीय एवं परस्पर संगत हो, तो मात्र उनके पुलिस कर्मचारी होने अथवा स्वतंत्र गवाह उपलब्ध न होने के आधार पर उनकी साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

16. प्रकरण के अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू.-4 विनोद कुमार**, तत्कालीन हल्का पटवारी, ने जमाबंदी **प्रदर्श पी-10**, नक्शा ट्रेस **प्रदर्श पी-11** एवं फर्द गिरदावरी **प्रदर्श पी-12** को प्रमाणित किया है। यद्यपि इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि नक्शा ट्रेस से नदी अथवा रेत की स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, तथापि उसके द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अभियोजन द्वारा दर्शाये गये स्थान की राजस्व स्थिति का समर्थन करते हैं।

17. इसी क्रम में गवाह **पी.डब्ल्यू.-5 सुभाषचन्द** ने यह सिद्ध किया कि स्थानांतरण के पश्चात् अनुसंधान उसके सुपुर्द हुआ तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट एवं धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम तथा अभियुक्त भंवर सिंह के विरुद्ध धारा 379/120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट एवं धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया। यद्यपि इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने सम्पूर्ण अनुसंधान स्वयं नहीं किया, किन्तु इससे पूर्व में किये गये अनुसंधान की वैधता प्रभावित नहीं होती।

18. इसी अनुक्रम में गवाह **पी.डब्ल्यू.-6 मोहन सिंह**, तत्कालीन थानाधिकारी, ने यह सिद्ध किया कि हंसराज द्वारा जब्तशुदा ट्रैक्टर-ट्रॉली मय बजरी प्रस्तुत किये जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा एफआईआर **प्रदर्श पी-4** एवं चार्जशीट पर हस्ताक्षर प्रमाणित किये। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से भी अभियोजन के मूल प्रकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

19. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **पी.डब्ल्यू.-7 मुकेश स्वामी** ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका **प्रदर्श पी-5**, धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना **प्रदर्श पी-8** तथा अभियुक्त की निशानदेही पर तस्दीक घटनास्थल **प्रदर्श पी-9** को सिद्ध किया है। प्रतिपरीक्षा में यह अवश्य सामने आया कि फोटोग्राफ के नेगेटिव पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं तथा स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान नहीं लिये गये, किन्तु ये प्रक्रियात्मक कमियाँ मात्र हैं। इनसे अभियोजन की मूल साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती।

20. इसके अतिरिक्त गवाह **पी.डब्ल्यू.-8 ललित बाछरा**, तत्कालीन खनि अभियंता, ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया कि जब्तशुदा वाहन में खनिज बजरी भरी हुई थी तथा घटना के समय उस क्षेत्र में खनिज बजरी के खनन एवं निर्गमन पर पूर्ण प्रतिबंध था। बिना वैध अनुमति अथवा रॉयल्टी के खनिज का परिवहन राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 2017 के नियम 54 एवं 60 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 का उल्लंघन है। इस साक्षी द्वारा प्रदर्श **पी-16** रिपोर्ट प्रमाणित की गई है। यद्यपि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन का परीक्षण तकनीकी स्टाफ द्वारा किया गया था, तथापि उसके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी रिपोर्ट अभियोजन के कथन का पर्याप्त समर्थन करती है कि जब्तशुदा सामग्री खनिज बजरी थी तथा उसका परिवहन बिना वैध अनुमति के किया जा रहा था।

21. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने एक स्वर में यह कथन किया है कि अभियुक्त **मुकेश** बिना किसी वैध रवन्ना अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ट्रैक्टर-ट्रॉली में खनिज बजरी का परिवहन कर रहा था। अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसके द्वारा किया गया परिवहन विधिसम्मत था। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 के अनुसार बिना वैध अनुज्ञा अथवा विधिसम्मत अनुमति के किसी भी खनिज का उत्खनन अथवा परिवहन प्रतिबंधित है तथा इसका उल्लंघन धारा 21 के अधीन दण्डनीय है। उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त मुकेश द्वारा बिना वैध अनुमति के खनिज बजरी का परिवहन किया गया।

<u>अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम के संबंध में-</u>

22. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मुकेश स्वयं उक्त ट्रैक्टर का चालक था। पी.डब्ल्यू.-1 हंसराज, पी.डब्ल्यू.-2 लक्ष्मीनारायण तथा पी.डब्ल्यू.-3 महेन्द्रपाल ने अपने-अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि ट्रैक्टर अभियुक्त मुकेश चला रहा था। इन साक्षियों के इस कथन का प्रतिपरीक्षण में प्रभावी खण्डन नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा भी विचारण के दौरान कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। न तो अनुसंधान के समय और न ही न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि घटना दिनांक को उसके पास वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस था। जबकि अभियोजन का प्रारम्भ से ही यह कथन रहा है कि अभियुक्त बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रैक्टर चला रहा था। इस तथ्य का अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि घटना

दिनांक को अभियुक्त मुकेश बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरयान चला रहा था। फलस्वरूप उसके विरुद्ध **धारा 3 सहपठित धारा 181 मोटरयान अधिनियम** का अपराध भी संदेह से परे प्रमाणित होता है।

अभियुक्त भंवर सिंह के संबंध में

23. जहाँ तक अभियुक्त **भंवर सिंह** का प्रश्न है, उसके विरुद्ध अभियोजन द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो सके कि उसने अभियुक्त मुकेश के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर अवैध खनन अथवा अवैध परिवहन कराया। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त भंवर सिंह वक्त घटना अभियुक्त मुकेश के साथ अवैध बजरी का परिवहन कर रहा हो। पत्रावली से स्पष्ट है कि अभियुक्त भंवर सिंह को अनुसंधान में केवल वाहन स्वामी होने के आधार पर धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस जारी किया गया तथा उसके उत्तर के आधार पर अभियोजन ने उसकी संलिप्तता मानी है।

24. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि **धारा 133 मोटरयान अधिनियम के नोटिस का उत्तर मात्र संपुष्टिकारक (Corroborative) साक्ष्य है। यह स्वयं में अभियुक्त की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।** वर्तमान प्रकरण में किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह कथन नहीं किया कि भंवर सिंह घटना स्थल पर उपस्थित था अथवा उसने मुकेश को अवैध खनन अथवा अवैध परिवहन करने हेतु निर्देशित किया था। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि भंवर सिंह को यह जानकारी थी कि मुकेश बिना वैध अनुमति के खनिज बजरी का परिवहन कर रहा है। केवल वाहन का स्वामी होना

अथवा धारा 133 मोटरयान अधिनियम के नोटिस का उत्तर देना, आपराधिक षड्यंत्र अथवा अवैध खनन में सहभागिता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

25. इसी प्रकार धारा **5/180 मोटरयान अधिनियम** के संबंध में भी जब पूर्वोक्त विवेचनानुसार यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है कि दिनांक 01.03.2019 को समय लगभग 09:40 बजे रात्रि, हाट चौक, सुकेत पर अभियुक्त भंवर सिंह ने ट्रेक्टर संख्या 275 डीआई बिना नंबरी वाहन स्वामी होते हुए अभियुक्त मुकेश के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर बिना वैध रवन्ना/रॉयल्टी के खनिज बजरी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कराया, तो ऐसे में सुसंगत दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त भंवर सिंह द्वारा अभियुक्त मुकेश को उसके पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं होने के बावजूद अपना वाहन ट्रेक्टर 275 डीआई बिना नंबरी अभियुक्त मुकेश को चलाने हेतु दिया जाना भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

26. अतः उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 01.03.2019 को समय लगभग 09:40 बजे रात्रि, हाट चौक, सुकेत पर अभियुक्त मुकेश बिना वैध रवन्ना/रॉयल्टी के खनिज बजरी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया तथा वह उक्त ट्रैक्टर को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा था। अतः अवधार्य बिंदु संख्या 01 सकारात्मक रूप में निर्धारित की जाती है।

किन्तु अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 01.03.2019 को समय लगभग 09:40 बजे रात्रि, हाट चौक, सुकेत पर अभियुक्त भंवर सिंह ने ट्रेक्टर 275 डीआई बिना नंबरी का वाहन स्वामी होते हुए अभियुक्त

मुकेश के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर बिना वैध रवन्ना/रॉयल्टी के खनिज बजरी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कराया तथा यह जानते हुए कि अभियुक्त मुकेश के पास वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे उक्त ट्रैक्टर चलाने हेतु दिया। फलस्वरूप **अवधार्य बिन्दु संख्या-2 नकारात्मक रूप में निर्धारित किया जाता है।**

आदेश

27. परिणामतः अभियुक्त **मुकेश पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, निवासी देवरी घटा (सलोतिया), थाना कोतवाली, जिला झालावाड़** को अपराध अन्तर्गत **धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4 सहपठित धारा 21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम** के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं अभियुक्त **भंवर सिंह पुत्र कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी देवरी घटा (सलोतिया), थाना कोतवाली, जिला झालावाड़** को अपराध अन्तर्गत **धारा 379 सहपठित धारा 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4 सहपठित धारा 21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम** के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या-3 के विनिश्चय के कारण</u>

सजा के प्रश्न पर

28. अवधार्य बिन्दु संख्या-3 के संबंध में सजा के प्रश्न पर अभियोजन तथा दोषसिद्ध अभियुक्त मुकेश को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि दोषसिद्ध अभियुक्त साधारण परिवार का व्यक्ति है तथा वर्ष **2019** से विचारण का

सामना कर रहा है। लगभग **सात वर्ष** तक न्यायालय में उपस्थित होकर विचारण में सहयोग करता रहा है। अभियुक्त न्यायालय से जमानत पर रहा तथा उसने जमानत की शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं किया। अभियुक्त के परिवार का भरण-पोषण उसी पर निर्भर है। अतः उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यूनतम दण्ड प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

29. जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा बिना किसी वैध अनुज्ञा, बिना वैध रवन्ना एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के खनिज बजरी का अवैध परिवहन किया गया। इस प्रकार के अपराध प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से संबंधित आर्थिक अपराध हैं, जिनसे राज्य के राजस्व एवं पर्यावरण दोनों को क्षति पहुँचती है। अतः अभियुक्त को उचित दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।

30. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध **धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4 सहपठित धारा 21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम** के अपराध संदेह से परे सिद्ध हो चुके हैं। बिना वैध अनुमति एवं बिना वैध अनुज्ञा के खनिज का उत्खनन अथवा परिवहन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य के विपरीत है तथा राज्य के राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति पहुँचाता है। साथ ही अभियुक्त द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाया जाना भी लोक सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है। यद्यपि अभियुक्त वर्ष 2019 से विचारण का सामना कर रहा है तथा उसके विरुद्ध विचारण के दौरान किसी दुराचरण का अभाव है, तथापि अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का मत है कि कारावास के साथ पर्याप्त अर्थदण्ड आरोपित किया जाना न्यायोचित एवं उपयुक्त रहेगा।

दण्डादेश

31. अतः अभियुक्त **मुकेश पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, निवासी देवरी घटा (सलोतिया), थाना कोतवाली, जिला झालावाड़** को अपराध अन्तर्गत **धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 4 सहपठित धारा 21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम** में दोषसिद्ध घोषित करते हुए निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है—

क्र.सं.	**धारा**	**कारावास**	**अर्थदण्ड**	**अर्थदण्ड अदा न करने पर**
1.	धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता	03 वर्ष का साधारण कारावास	₹10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र)	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
2.	धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957	03 वर्ष का साधारण कारावास	₹20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये मात्र)	02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
3.	धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम	03 माह का साधारण कारावास	₹500/- (अक्षरे पाँच सौ रुपये मात्र)	01 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास

उपरोक्त समस्त कारावास की सजाएँ साथ-साथ (Concurrent) चलेंगी।

32. अभियुक्त का सजा वारंट नियमानुसार तैयार किया जावे। अभियुक्त द्वारा पूर्व में भुगती गई पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि का लाभ **धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अनुसार उसकी मूल सजा में समायोजित किया जावे।

33. प्रकरण में जब्तशुदा ट्रैक्टर-ट्रॉली के संबंध में यदि कोई सुपुर्दगी आदेश पूर्व में पारित किया जा चुका हो तो उसका सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा अपील अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार निरस्त किया जावे।

34. प्रकरण में जब्तशुदा खनिज बजरी के संबंध में नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की जावे।

35. अभियुक्तगण के न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं। यदि उसके विरुद्ध किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो उसे इस प्रकरण से मुक्त किया जाता है।

36. अभियुक्तगण द्वारा **धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत ₹10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र) के स्वयं के मुचलके एवं इसी राशि की एक जमानत प्रस्तुत किये जाने पर उक्त मुचलके इस निर्णय की दिनांक से छह माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

37. निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त **मुकेश** एवं दोषमुक्त अभियुक्त **भंवर सिंह** को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जावे।

(अजय प्रताप सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगंजमण्डी, जिला-कोटा

38. निर्णय आज दिनांक **29.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय प्रताप सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगंजमण्डी, जिला-कोटा

सत्यापित प्रति

VARSHA AGRAWAL

Steno Gr.IIIrd "Authenticate Document"
Digitally signed by VARSHA AGRAWAL
Date: 2026.08.03 15:16:34 +0530